# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

## आपराधिक विविद याचिका. संख्या 2208 / 2023

---

नागानंद एम उर्फ़ एम नागनाद, आयु 47 वर्ष, पिता- मंजूनाथ, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के निर्माण और खनन मशीनरी व्यवसाय (सीएमबी), संयुक्त महाप्रबंधक , कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी - पंजीकृत कार्यालय एलएंडटी हाउस, एन.एम. मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, डाकघर- बैलार्ड एस्टेट, थाना- बैलार्ड एस्टेट, जिला मुंबई 400001 तथा स्थायी निवाश -79, केनरा बैंक कॉलोनी, नगरभावी रोड, डाकघर- नगरभावी, थाना.- नगरभावी, बैंगलोर, कर्नाटक 56007

**... याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. झारखंड राज्य
2. नवीन कुमार अग्रवाल, पिता - स्वर्गीय हीरालाल अग्रवाल, निवासी 3/6 एचएस टॉवर, एल रोड, डाकघर. बिष्टुपुर, थाना. बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, स्थायी निवाश -193/3 सुधा भवन, न्यू सीताराम डेरा, डाकघर न्यू सीताराम डेरा, थाना., न्यू सीताराम डेरा, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।

**... विपक्षी पक्ष**

---

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विकास पांडे, अधिवक्ता

श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री जनक कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

श्री संजय कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा द्विवेदी, अधिवक्ता

राज्य के लिए: सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, विशेष पी.पी.

ओ.पी. संख्या 2 के लिए: श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता

---

**<u>उपस्थित</u>**

**माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी**

***न्यायालय द्वारा***:- दोनों पक्षों को सुना गया।

**2.** यह आपराधिक विविध याचिका, भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत बिष्टुपुर थाना. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

**3.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतरिम आवेदन संख्या 10975/2023 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसका समर्थन याचिकाकर्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2/सूचनाकर्ता के जोड़ीदार के हलफनामे से होता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने समझौता ज्ञापन दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से बिना किसी बल, दबाव, धमकी या प्रलोभन के मामले में समझौता कर लिया है तथा पक्षों के बीच पूर्ण एवं अंतिम समझौते के मद्देनजर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 उक्त बिष्टुपुर थाना. मामला संख्या 144/2023 को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक निजी विवाद है तथा इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है तथा कुछ गलतफहमी के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता

के विद्वान वकील **ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (2014) 6 एससीसी 466 पैराग्राफ-29 में दी गई है, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:

> *"**29.** उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश और निर्धारण करते हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौते को उचित उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते हुए और कार्यवाही को रद्द करते हुए या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए:*
>
> ***29.1.** संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को शमन करने की न्यायालय में निहित शक्ति से अलग किया जाना चाहिए। निस्संदेह, संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास आपराधिक कार्यवाही को उन मामलों में भी रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षों ने आपस में मामले का निपटारा कर लिया है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।*
>
> ***29.2.** जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगा:*
>
> *(i) न्याय के उद्देश्य, या*
>
> *(ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपर्युक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होती है।*
>
> ***29.3.** ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोगों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और*

*समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानून के तहत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।*

***29.4.*** *दूसरी ओर, वे आपराधिक मामले जो मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के हैं, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तब रद्द किया जाना चाहिए जब पक्षकार अपने बीच अपने सभी विवादों को सुलझा लें।*

***29.5.*** *अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामलों को रद्द न करने से उसके साथ बहुत अधिक अन्याय होगा।*

***29.6.*** *धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपना निर्णय नहीं लेगा क्योंकि एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि क्या धारा 307 आईपीसी को शामिल करना इसके लिए है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित करने में मदद करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, चाहे ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक भागों पर लगी हो, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि के आधार पर जाना होगा। पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकती है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है।*

*पहले मामले में यह समझौता स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है जबकि दूसरे मामले में उच्च न्यायालय के लिए पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध को कम करने की दलील को स्वीकार करना स्वीकार्य होगा। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप उनके बीच सामंजस्य स्थापित होगा जो उनके भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकता है।*

***29.7.*** *संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, यह तय करते समय, निपटान का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मामले जिनमें कथित अपराध के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदारता दिखा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर जांच अभी भी जारी है और यहां तक कि आरोप-पत्र भी दायर नहीं किया गया है। इसी तरह, वे मामले जहां आरोप तय हो गया है लेकिन सबूत अभी शुरू नहीं हुए हैं या सबूत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर वर्णित परिस्थितियों/सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी तरह, उन मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण में है, पक्षों के बीच मात्र समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी को बरी कर दिया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। यहां धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित*

*हो चुका है और जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है और इसलिए ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए गए दोषी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। (जोर दिया गया)"*

अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिष्टुपुर थाना. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त कर दिया जाए।

**4.** राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर, राज्य को बिष्टुपुर थाना. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त करने में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

**5.** बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को **परबतभाई आहिर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641** में रिपोर्ट किए गए मामले में, पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार माना गया है:-

*"11. धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान के साथ शुरू की गई है। यह क़ानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को एक उच्च न्यायालय के रूप में बचाता है, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303: (2012) 4 एस.सी.सी. (सिविल) 1188: (2013) 1 एस.सी.सी. (क्रि) 160: (2012) 2 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करते समय विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफ.आई.आर. या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च*

*न्यायालय को जिन बातों पर विचार करना चाहिए, वे हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 342-43, पैरा 61)*

> *"61. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध उचित रूप से निरस्त नहीं किए जा सकते, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन आपराधिक मामले, जिनमें मुख्य रूप से सिविल मामले शामिल हैं, निरस्तीकरण के लिए अलग आधार पर आते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या ऐसे ही अन्य लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके*

*विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित के विरुद्ध होगा या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का पूरा अधिकार है। (जोर दिया गया)"*

**6.** अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध न तो जघन्य अपराध हैं और न ही मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध है, बल्कि यह दोनों पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

**7.** अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता हो जाने के कारण याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

**8.** इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां बिष्टुपुर थाना. से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन। वाद संख्या 144 / 2023 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, को निरस्त किया जाए और अलग रखा जाए।

**9.** तदनुसार, बिष्टुपुर थाना.वाद संख्या 144 / 2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ता के खिलाफ निरस्त किया जाता है और अलग रखा जाता है।

**10.** परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविद याचिका स्वीकृत की जाती है।

**11.** तत्काल आपराधिक विविद याचिका के निपटान के मद्देनजर, अन्तरवर्ती आवेदन संख्या 10975 / 2023 को तदनुसार निपटाया जाता है।

**(अनिल कुमार चौधरी, जे.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 20 दिसंबर, 2023
एएफआर / अनिमेश

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।